लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 मार्च, 2017 को सांय 4.00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः—

1.	डा0 एस. पी. सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य
3.	श्री के.सी. राय शर्मा,	उप– सचिव, उ0शि0 उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	श्री राजीव कुमार वत्स,	अनुसचिव (वित्त विभाग), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	प्रो0 आर. के. सिंह	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य
6.	प्रो0 ए. के. शर्मा,	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2016 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रथम पॉच माह (01.04.2017 से 31.08.2017) हेतु अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 का नियमित बजट पारित करने तक गत वर्ष वित्त समिति द्वारा पारित आय–व्ययक के आधार पर आनुपातिक व्ययों हेतु लेखानुदान पारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–3

परीक्षा के विभिन्न कार्यों के सुलभ संचालन की दृष्टि से एक हाफ डाला (बन्द गाड़ी) तथा मा0 कुलपति हेतु एक इनोवा मॉडल केस्टा गत वर्ष नीलाम किये गये आठ वाहनों के सापेक्ष कय किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा के प्रयोजन हेतु हाफ डाला का कय उचित नही है क्योंकि इसकी प्रकृति नीलाम वाहनों से भिन्न है। इसके स्थान पर मल्टीयूटीलिटी वाहन जो बन्द हो, तथा उसका मूल्य रू0 8.00 लाख तक हो, कय करने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। मा0 कुलपति हेतु प्रतिस्थापन में प्रस्तावित इनोवा के कय करने की अनुमति प्रशासकीय विभाग से प्राप्त कर कय किये जाने की समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–4

वित्तीय वर्ष 2015–16 का तुलन–पत्र लागत लेखाकार से सत्यापनोंपरान्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–5

पर्यवेक्षक को विश्वविद्यालय से वाहन न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में रू0 300/–प्रतिदिन पेट्रोल भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया किया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–6

वित्त समिति से पारित शुल्क अध्यादेश के पृष्ठ 6 पर उल्लिखित एडिशनल फीस के कमांक बी. पर एम.एड. छात्र/छात्राओं से लैब फीस रू0 2000/– प्रति सेमेस्टर लिए जाने का उल्लेख है जबकि एम.एड. तृतीय सेमेस्टर में लैब वर्क होता ही नही है। अतः इस सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं से लैब फीस न लिए जाने का निर्णय कुलपति जी द्वारा वित्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में लिया गया। शुल्क अध्यादेश में उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–7

बिल्डिंग एण्ड वर्क्स कमेटी एवं वित्त समिति द्वारा कल्याण मण्डप भवन अनुमानित लागत 70.30 लाख मूलतः वार्षिक अनुरक्षण मद से स्वीकृत किया गया था। यू.जी.सी. 12वीं प्लान में भवन निर्माण/कैम्पस डेवलेपमेण्ट मद में उपलब्ध धनराशि का उपभोग 31.03.2017 से पूर्व सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से तत्कालीन कुलपति जी की अनुमति से इसका भुगतान यू.जी.सी. 12वीं प्लान से किया गया था, जो तार्किक एवं विश्वविद्यालय हित में है। सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–8

वित्त समिति की बैठक अगस्त 2015 में उत्तर प्रदेश प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा बोर्डो से आने वाले सत्यापन हेतु तत्समय लिए जा रहे शुल्क रू0 2000/– प्रति छात्र को माफ कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में परीक्षा नियंत्रक के तर्कपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 05.08.16 में यह अनुरोध किया गया है कि अन्य विभागों की भॉति उत्तर प्रदेश प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से पूर्व की भॉति सत्यापन शुल्क लिया जाना उचित है। सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 वित्त समिति के विचारार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से इस आशय की जानकारी प्राप्त कर ली जाए उसके उपरान्त आगामी वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

30/3/17 30/3/17 30/3/2017

51

बिन्दु संख्या–9

परीक्षा नियंत्रक के संलग्न पत्र दिनांक 19.08.2016 में यह अनुरोध किया गया है कि छात्र हित में उचित है कि जिन प्रकरणों में मूल अंकतालिका जमा कराकर अंकतालिकाओं में संशोधन होना है के लिए संशोधन शुल्क रू0 500/– प्रति अंकतालिका तथा खो जाने य अन्य किसी कारण से द्वितीय अंकतालिका बनाने हेतु रू0 1200/– प्रति अंकतालिका शुल्क लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर वित्त समिति द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत दोनों ही दशा में रू0 500/– प्रति अंकतालिका लिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

बिन्दु संख्या–1

दिनांक 28 मार्च, 2017 को सायं 4:30 बजे विल्डिंग वर्क्स कमेटी की आयोजित बैठक के निर्णयों से अवगत कराते हुए उसमें नये कैम्पस में छात्राओं के लिए छात्रावास (हास्टल) यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय के अन्य स्रोतों से बनाये जाने विषयक कार्य–वृत्ति समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

श्री मानेन्द्र पाल सिंह, कनिष्ठ आशुलिपिक को पूर्व में इनके कार्य को दृष्टिगत रखते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा दी गयी दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को बहाल करने सम्बन्धी प्रस्ताव परं विचार–विमर्श किया गया एवं उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–3

लखनऊ विश्वविद्यालय को स्थानीय निधि लेखा द्वारा सम्वर्ती लेखा परीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग रू0 1.24 करोड़ का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में इस मद में लगभग रू0 4.96 करोड़ का भुगतान अवशेष है तथा अगले वित्तीय वर्ष में रू0 1.24 करोड़ का भुगतान सम्भावित होगा। सीमित संशाधनों के कारण विश्वविद्यालय स्तर से इसका भुगतान करना सम्भव नही है। अतः समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि इस धनराशि की मॉग शासन से कर ली जाए, समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–4

लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने एवं नये कैम्पस को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवशेष भवन कर रू0 4,32,47,566/–का भुगतान करना पड़ा। आगामी वित्तीय वर्ष में भी लगभग रू0 60,00,000/– लाख का भुगतान करना होगा। सीमित संशाधनों के कारण इस प्रकृति के भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से किया जाना सम्भव नही है। अतः यह प्रस्ताव रखा गया कि भुगतानित अवशेष रू0 4,32,47,566/–एवं आगामी वित्तीय वर्ष में देय धनराशि रू0 60,00,000/– की मॉग शासन से की जाए। समिति ने उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–5

जलकर के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय पर लगभग रू0 2,28,38,267/–.की वर्तमान देनदारी है। आगामी वित्तीय वर्ष मे भी जलकर के रूप में रू0 30,34,457/–की देयता होगी।सीमित संशाधनों के कारण जलकर का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर से वहन किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रस्ताव किया गया कि उक्त धनराशि की मॉग शासन से की जाए। समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

(के.सी. राय शर्मा)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 षासन

(राजीव कुमार वत्स)
संयुक्त सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन

30/3/17
(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त अधिकारी

30/3/2017
(डा0 आर. के. सिंह)
कार्यवाहक कुलसचिव

(प्रो0 यू. एन. द्विवेदी)
प्रति–कुलपति

30/3/17
(प्रो0 ए. के. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक

(डा0 एस.पी. सिंह)
कुलपति

* बिन्दु सं0–3 का अंश कि मल्टीयूटिलिटी वाहन जिसका मूल्य रु.8.00 लाख तक हो लघु उद्योग विभाग के सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार क्रय किया जायेगा कि शर्त के अनुसार अनुमोदित।